संख्या-6/1379/63-व0उ0-2014-50(एच)/06 टी0सी0

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0, शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग — लखनऊ : दिनांक 31 अक्टूबर, 2014

विषय:- उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योगों की स्थापना के लिये किये गये प्राविधानों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योगों की इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 बनाई गई है। प्रदेश में स्थापित होने वाली वस्त्र उद्योग इकाईयों को उ0प्र0 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत उपलब्ध सभी सुविधायें एवं उपादान योजनाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

2- उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति एवं उ0प्र0 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के समानान्तर प्राविधान जिनके सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किये जा चुके हैं, का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	योजना का नाम	उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 का प्रस्तर संख्या	उ0प्र0 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का प्रस्तर संख्या	शासनादेश का विवरण
1	स्टैम्प ड्यूटी में छूट	3.1.1 3.1.2 3.1.4	5.1.1 5.1.2 5.1.4	क.नि.7-79/11-2012-312(98)/2012, दिनांक 05.12.2012 क.नि.7-80/11-2012-312(98)/2012, दिनांक 05.12.2012
2	वाणिज्य कर विभाग से छूट	3.2.2 3.2.3	5.2.2 5.2.3	क.नि.1181/11-2-2012-9(66)/2012, दिनांक 09.11.2012 क.नि.973/11-2-2012-9(66)/2012, दिनांक 29.09.2012
3	निवेश प्रोत्साहन योजना का विस्तार	3.3.1 3.3.2 3.3.3	5.4	1416/77-6-12-8(एम)/12टी.सी.-4, दिनांक 30.11.2012 1599/77-6-12-8(एम)/12टी.सी.-4, दिनांक 30.11.2012
4	ऊर्जा सम्बन्धी वित्तीय प्राविधान	3.4.1 3.4.2	5.5.2 5.5.3	1765/24-3-2009-2000(124)/09, दिनांक 21.01.2010 2304/24-पी.-3-2012-232, 06.02.1998 दिनांक 07.12.2012
5	अवस्थापना ब्याज उपादान योजना	3.5.2	5.6.2	1385/77-6-12-8(एम)/12टी.सी.-1, दिनांक 30.11.2012

http://shasanadesh.up.nic.in

6	औद्योगिक गुण्वत्ता विकास उपादान योजना	3.5.3	5.6.3	1414/77-6-12-8(एम)/12टी.सी.-।।, दिनांक 30.11.2012
7	ई0पी0एफ0 प्रतिपूर्ति योजना	3.5.4	5.6.4	1456/77-6-12-8(एम)/12टी.सी.-।।, दिनांक 23.01.2013

उक्त योजनाओं का लाभ उपरोक्तानुसार निर्गत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था के अनुरूप अनुमन्य कराया जायेगा। वस्त्र उद्योग इकाईयों हेतु यू0पी0एस0आई0डी0सी0 एवं पिकप के स्थान पर हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के अधीन हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा।

3- वस्त्र उद्योग इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए उक्त के अतिरिक्त् पूँजीगत ब्याज उपादान योजना एवं मेगा परियोजनाओं के लिये निम्न विशेष प्राविधान किये गये हैं :-

<u>(अ)-पूँजीगत ब्याज उपादान योजना (उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 प्रस्तर संख्या-3.6.1):-</u>

अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने हेतु पूर्वान्चल, मध्यान्चल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाले नये वस्त्र उद्योग यथा कताई (स्पिनिंग) निर्माण इकाईयों को इकाई की स्थापना हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जायेगी। इसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रू0 1.00 करोड़ होगी। स्पिनिंग यूनिट को छोड़कर अन्य वस्त्र उद्योग इकाईयों पर यह उपादान 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा 07 वर्ष के लिए प्रति यूनिट अधिकतम रू0 1.00 करोड़ होगी। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उपरोक्त प्रकार के नये वस्त्रोद्योग के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रू0 50.00 लाख होगी।

यह योजना उ0प्र0 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1414/77-6-12-8(एम)/12टी.सी.-3, दिनांक 30.01.2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप वस्त्र उद्योग इकाईयों के लिए उपरोक्त संशोधित दर एवं अवधि के अनुसार प्रभावी होगी।

<u>(ब)-मेगा परियोजना (उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 प्रस्तर संख्या-3.5.5)</u> :-

(क) वस्त्र उद्योग इकाई के अन्तर्गत रू0 75.00 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश वाली स्पिनिंग मिल इकाईयों को उ0प्र0 वस्त्र उद्योग नीति में वर्णित सभी वित्तीय सुविधाओं को सुसंगत शर्तों के अधीन अनुमन्य कराया जायेगा। केस-टू-केस आधार पर इन सुविधाओं की अधिकतम वित्तीय सीमा को इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति तथा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त शिथिल किया जा सकेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस श्रेणी की मेगा परियोजनाओं को कोई ऐसी सुविधायें अनुमन्य नहीं करायी जायेंगी, जो उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति से आच्छादित न हों। इन परियोजनाओं हेतु भूमि का आवंटन, जल, विद्युत संयोजन आदि को प्राथमिकता से फास्ट ट्रैक मोड पर उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसी इकाईयों को यदि परियोजना की स्थापना हेतु अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें जैसे-सड़क, विद्युत लाइन, सीवर लाइन, जल निकासी की आवश्यकता होगी, तो उसे पूर्णतः अथवा शासकीय व्यय पर उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

(ख) रू0 125.00 करोड़ या उससे अधिक पूँजी निवेश करने वाली स्पिनिंग मिल इकाईयों को उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त केस-टू-केस आधार पर अन्य प्रदेशों की तर्ज पर इम्पावर्ड कमेटी की संस्तुति तथा मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त वे सुविधायें भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जो उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति से आच्छादित नहीं हैं।

यह योजना उ0प्र0 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1457/77-6-12-8(एम)/12टी.सी.7, दिनांक 23.01.2012 एवं शासनादेश संख्या-402/77-6-14-5(एम)/13, दिनांक 03.03.2014 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप वस्त्र उद्योग इकाईयों हेतु उपरोक्त संशोधित सीमा के साथ प्रभावी होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त सुविधायें इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य होंगी।

5- इस योजना का संचालन हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के अधीन हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर द्वारा किया जायेगा, जो इस शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य प्राविधानों के लिए प्राधिकृत संस्था होगी।

6- उ0प्र0 अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अधीन समय-समय पर जारी सभी शासनादेश/संशोधन उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 पर भी प्रभावी होंगे।

7- उक्त नीति "उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014" के नाम से जानी जायेगी।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1379(1)/63-व0उ0-2014, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली, पिन-110011
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
7- आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
8- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर।
9- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
10- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमती नगर, लखनऊ।
11- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 वस्त्र उद्योग नीति की 500 प्रतियॉ तैयार कराकर हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग, चतुर्थ तल, कक्ष संख्या-405 लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी), उ0प्र0 सचिवालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6
13- नियोजन अनुभाग-1
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज बहादुर)
अनु सचिव।

संख्या-1379(2)/63-व0उ0-2014, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना का समस्त समाचार पत्रों में व अन्य माध्यमों से समुचित प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

http://shasanadesh.up.nic.in

(राज बहादुर)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in